

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 17 मई, 2023

धूल-भरी हवाएँ और उच्च PM10 स्तर: दलिली के AQI पर प्रभाव

हाल ही में दलिली में तीव्र हवाओं के चलते धूल उड़ने और दृश्यता कम होने के कारण **पार्टिकुलेट मैटर (PM) 10** के स्तर में वृद्धि देखी गई। **भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD)** के अनुसार, पछिले कुछ दिनों से कम बारशि, उष्णता और तीव्र हवाओं के कारण धूल भरी हवाएँ चल रही हैं, जबकि तापमान 40 डिग्री सेलसियस से ऊपर बना हुआ है। IMD के वैज्ञानिकों ने बताया कि यह तापमान की वजह से शुष्क मौसम के लिए अधिक था और PM2.5 के स्तर में भी वृद्धि देखी गई। शहर में 24 घंटे के औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index- AQI) को अधिकांश नगरानी स्टेशनों पर 'बहुत खराब' या 'खराब' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वायु में पार्टिकुलेट मैटर से खांसी और अस्थमा जैसे श्वसन संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं। गर्मियों में धूल के स्रोत के लिए शुष्क परास्थितियों और वायु की तीव्र गति को जामिनदार ठहराया गया है। **ग्रेड रासिपास एक्शन प्लान (GRAP)** के तहत कार्रवाई शुरू करने हेतु उप-समिति की बैठक हुई, लेकिन कोई भी कार्रवाई न करने का फैसला किया गया क्योंकि अगले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार होने की संभावना है।

और पढ़ें... [शहरों में वायु गुणवत्ता और स्वास्थ्य](#)

बांग्लादेश ने राजनयिकों को "अतिरिक्त सुरक्षा अनुरक्षण" प्रदान करना बंद किया

बांग्लादेश ने भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड कंगोडम और सऊदी अरब के शीर्ष राजनयिकों को प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त सुरक्षा को भेदभावपूर्ण और अनावश्यक मानते हुए वापस लेने का फैसला किया है, बांग्लादेश ने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा है कि दिशा की कानून और व्यवस्था अच्छी तरह से नियंत्रित है। वर्ष 2016 में एक आतंकवादी हमले के बाद बढ़े हुए सुरक्षा उपायों के काफी समय बाद यह नियंत्रण लिया गया है। दिशा मंत्री ने कहा कि वरतमान कानून और व्यवस्था की स्थिति विशिष्ट दूर्तों/राजनयिकों के लिये अतिरिक्त सुरक्षा का प्रावधान नहीं करती है औसत यह सुझाव दिया कि आवश्यकता पड़ने पर नजीबी सुरक्षा सेवाओं की मदद ली जा सकती है। मेजबान देश अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार राजनयिक मशिनों के लिये मानक सुरक्षा सावधानियों को बनाए रखना जारी रखेगा। राजनयिक सुरक्षा के संदर्भ में वर्ष 1961 के राजनयिक संबंधों पर विना अभिसिमय की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह संधी स्वतंत्र देशों के बीच राजनयिक संबंधों की रूपरेखा की स्थापना करती है। यह अभिसिमय राजनयिक एजेंटों और मशिनों को उनके प्रभावी प्रदर्शन तथा मेजबान राज्य द्वारा अनुचित हस्तक्षेप से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये विभिन्न विशिष्ट अधिकार एवं प्रतिरक्षा प्रदान करता है। इसके अनुच्छेद 22 में मशिन परसिर की अनुललंघनीयता पर जोर दिया गया है, जिसमें मेजबान देश का करतत्व यह कि वह कसी भी घुसपैठ अथवा क्रष्टकि के खलाफ उनकी रक्षा करे। अनुच्छेद 29 एक राजनयिक एजेंट के सहयोगियों की अनुललंघनीयता पर जोर देता है, जिसमें कहा गया है कि मेजबान राज्य के लिये उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना और उनके सहयोगियों की सहततरता एवं गरमियों की रक्षा करना अनिवार्य है। यह अभिसिमय राजनयिक एजेंटों को आपराधिक क्रष्टतराधिकार से मुक्त करता है। हालांकि यह भी अनिवार्य है कि राजनयिक एजेंट मेजबान राज्य के कानूनों और नियमों का सम्मान करें तथा उस राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचें। ये सभी प्रावधान राजनयिक मशिनों और करमियों की सुरक्षा तथा कामकाज को सुनिश्चित करते हैं।

और पढ़ें... [विना अभिसिमय](#)

भारत में स्वदेशी डेंगू वैक्सीन परीक्षण

सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पैनासिया बायोटेक, दो प्रमुख दवा नियमिता कंपनियों ने **डेंगू** के खलिक भारत का पहला टीका विकासित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने स्वदेशी नियमिताओं के लिये स्वास्थ्योन्नति चरण- III नैदानिक परीक्षणों हेतु 'रुचि' की अभिव्यक्ति के जवाब में **भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)** को आवेदन प्रस्तुत किया है। भारतीय नियमिताओं द्वारा विकासित टेट्रावेलेंट डेंगू वैक्सीन उम्मीदवार की प्रभावकारता, सुरक्षा और प्रतिरक्षण क्रमता का मूल्यांकन करने के लिये चरण- III परीक्षण आयोजित किये जाते हैं। डेंगू वायरस की बीमारी वैश्वकि स्तर पर स्वास्थ्य पर भारी बोझ डालती है, भारत में वार्षिक तौर पर 2-2.5 लाख मामले सामने आते हैं। **विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)** ने डेंगू को शीर्ष दस वैश्वकि स्वास्थ्य खतरों में से एक के रूप में मान्यता दी है। वर्तमान में डेंगू के लिये कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, जो प्रभावी टीकों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। डेंगू एक मच्छर जनति उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो डेंगू वायरस (जीनस फ्लेवीवायरस) के कारण होती है, इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज़ (Genus Aedes) प्रजातियों मुख्य रूप से एडीज़ इजपिटी (Aedes aegypti) द्वारा होता है। यह मच्छर **चकिनगुणिया, पीट जवर** और **जकि संक्रमण** का भी प्रसार करता है।

और पढ़ें... [डेंगू](#)

सक्रिकमि स्थापना दिवस

सक्रिकमि के स्थापना दिवस के अवसर पर परधानमंत्री ने सक्रिकमि वासियों को बधाई दी। 16 मई को वार्षिक रूप से मनाया जाने वाला यह दिवस भारत के साथ सक्रिकमि के एकीकरण और वर्ष 1975 में देश के 22वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना की स्वीकृति का प्रतीक है। सक्रिकमि राज्य का गठन भारतीय संवधान के 36वें संशोधन के तहत हुआ। सक्रिकमि का एक समृद्ध इतिहास है। 17वीं शताब्दी में नामग्राम वंश ने सक्रिकमि साम्राज्य की स्थापना की थी। यह एक पूर्व बराटिश संरक्षित राज्य है, जिसने चोग्याल शासकों के अधीन अपनी प्रशासनिक स्वतंत्रता बनाए रखी। भारत की स्वतंत्रता के बाद सक्रिकमि भारत के विदेश संबंधों, रक्षा और संचार की देख-रेख के साथ एक संरक्षित क्षेत्र बना रहा। हालाँकि विरष 1973 में सक्रिकमि वासियों के आंदोलन के कारण शासन में बदलाव आया। चोग्याल एक नाममात्र का व्यक्तित्व बन कर रह गया और सक्रिकमि को "संबद्ध राज्य" नामित किया गया। वर्ष 1975 में सक्रिकमि को राज्य का दरजा देकर इसे भारत में एकीकृत किया गया और 16 मई को यहाँ राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। सक्रिकमि की सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में [चीन](#) के [तिबित स्वायत्त क्षेत्र](#) से दक्षिण पूर्व में [भूटान](#), दक्षिण में पश्चिम बंगाल से तथा पश्चिम में [नेपाल](#) से संबद्ध है। भारत की सबसे ऊँची और वशिव की तीसरी सबसे ऊँची परवत चोटीमाउंट कंचनजंगा परवत सक्रिकमि में स्थिति है। परवत चोटी के नकिट स्थिति [कंचनजंगा राष्ट्रीय उदयान](#) (KNP) (वर्ष 1977 में स्थापित), भारत के सबसे अधिक ऊँचाई वाले संरक्षण क्षेत्रों में से एक है। KNP को वर्ष 2016 में [मैमशिरति](#) श्रेणी (पराकृति और सांस्कृतिक महत्ववाले स्थल) के तहत एक [वशिव धरोहर स्थल](#) नामित किया गया था। सक्रिकमि में [तीसता नदी](#) तथा इसकी सहायक नदियाँ जैसे करिंगति, ल्होनक, तालुंग और लाचुंग प्रवाहित होती हैं। [तीसता नदी जल विवाद, भारत और बांग्लादेश](#) के बीच सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक है। तीसता नदी, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है।



SIKKIM



CHINA
(TIBET)

N



Read more: [Sikkim's Statehood Day](#)

राष्ट्रीय फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपिनशपि 2023

नेशनल फेडरेशन कप सीनियर एथलेटिक्स चैंपिनशपि का 26वाँ संस्करण 15 मई, 2023 से **बरिसा मुंडा** स्टेडियम, रांची (झारखण्ड) में आयोजित किया जा रहा है। प्रतियोगिता का आयोजन दो वर्गों- पुरुष और महिला वर्ग में किया जा रहा है। यह भारतीय एथलेटिक्स सीजन का घरेलू टूर्नामेंट है। इसका आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (**Athletics Federation of India- AFI**) द्वारा किया जाता है। इसमें शामिल कुछ प्रतियोगिताएँ हैं- जंप; थ्रो-शॉट पुट, डिसिक्स थ्रो, भाल फेंक; स्प्रिटिंग इवेंट्स आदि। AFI भारत में एथलेटिक्स को नियंत्रित और प्रबंधित करने के लिये शीर्ष संस्था है तथा अंतरराष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ (IAAF), एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन (AAA) एवं भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध है। AFI में 32 संबद्ध राज्य इकाइयाँ और संस्थागत इकाइयाँ हैं। AFI वर्ष 1946 में अस्तित्व में आया था। यह महासंघ राष्ट्रीय चैंपिनशपि का आयोजन करता है, भारतीय

एथलेटिक्स राष्ट्रीय कैंपरस को प्रशक्ति करता है एवं ओलंपिक, एशियाई खेलों, विश्व चैंपिनशपि, एशियाई चैंपिनशपि तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्परदधाओं के लिये भारतीय एथलेटिक्स टीमों का चयन करता है।

ICC ने खेल की प्रस्थितियों में बदलाव लागू किया

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने क्रिकेट मैचों को खेलने की प्रस्थितियों में कुछ बदलाव किये हैं। एक बड़ा बदलाव यह है कि ऑन-फील्ड अधिकारियों द्वारा 'सॉफ्ट सग्निल' को खत्म कर दिया गया है। ICC के नियमों के अनुसार एक सॉफ्ट सग्निल, अंपायर रवियू शुरू करने से पहले तीसरे अंपायर हेतु गेंदबाज़ के अंतिम अंपायर के मूल ऑन-फील्ड नियम का दृश्य परसारण है। इस सग्निल का उपयोग करके पृथ्वी से कुछ इंच ऊपर लिये गए कैच की वैधता निर्धारित की गई थी। अधिक भ्रम पैदा करने के लिये विशेषज्ञों द्वारा अक्सर इसकी आलोचना की जाती थी और टीवी अंपायर को इस सग्निल के आधार पर नियम लेने में कठिनाई होती थी। एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि हेलमेट अब उच्च जोखमि वाले पोज़ीशन में अनविरल्य होगा, जिसके अंतर्गत शामिल हैं- तेज़ गेंदबाजों का सामना करने वाले बल्लेबाज़, स्टंप के पास खड़े विकेटकीपर और विकेट के सामने बल्लेबाज़ के करीब खड़े क्षेत्रक्रक्षक। इसके अतिरिक्त फ्री हिट नियम में एक मामूली संशोधन किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब गेंद स्टंप से टकराती है तो फ्री हिट पर बनाए गए रन मानी नहीं होंगे। ये बदलाव 1 जून, 2023 से प्रभावी होंगे, इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच लॉडस टेस्ट नए नियमों का पालन करने वाला पहला मैच होगा। क्रिकेट कार्यकारी समिति द्वारा पुरुष और महिला क्रिकेट समितियों की सफिरशियों को मंजूरी देने के बाद ICC ने ये बदलाव किये हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) क्रिकेट जगत में वैश्वकि शासी निकाय है। 104 सदस्यों के प्रतिनिधित्व के साथ ICC खेल को विनियमिती और प्रशासनित करता है तथा खेल के विकास के लिये अपने सदस्यों के साथ काम करता है। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/rapid-fire-current-affairs-17-may-2023>

